रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274607
CG-DL-E-20072026-274607

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948
No. 450] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2026

फा.सं.पीएफआरडीए/16/14/06/0009/2018-आरईजी-एग्जिट.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 के उप-धारा (2) के खंड (छ), (ज) और (झ) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाए जाते है, नामत:-

1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2026 कहा जायेगा।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:

   क. विनियम 4 क में :

i. मौजूदा विनियम को उप-विनियम (1) के रूप में क्रमांकित किया जाएगा।

ii. विनियम 4 के उप-विनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा :

"(2*) पेंशन निधि द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली किसी विशिष्ट उद्देश्य योजना हेतु, वह प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, ऐसी योजना के परिचालन हेतु ऐसे कार्यों को निष्पादित करने में समर्थ किसी अन्य संस्था को संलग्न कर सकती है। हालाँकि, पेंशन निधि ऐसी योजना के अंतर्गत किसी भी सेवा का लाभ प्राप्त करने वाले अभिदाता के प्रति उत्तरदायी और उसके द्वारा संलग्न की गई किसी संस्था, जैसा कि ऊपर विनिर्दिष्ट है, द्वारा किसी भी प्रकार की चूक अथवा लोप संबंधी कृताकृत्य के लिए जवाबदेह होगी।*

(3) *ऐसी किसी अन्य संस्था के पास अभिदाता को अथवा उसकी ओर से लाभ के भुगतान या अन्य सेवाओं की सुविधा अथवा सूचना के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण सहित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत पेंशन निधि अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के साथ एकीकरण हेतु तकनीकी क्षमता होनी आवश्यक है।*

(4) *पेंशन निधि और इस प्रावधान के अंतर्गत परिकल्पित सेवाओं की व्यवस्था के प्रयोजनार्थ संलग्न की गई संस्था का पर्यवेक्षण, लागू सभी अन्य कानूनों के अनुपालन के अलावा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अनुदेशों के अंतर्गत किया जाएगा।"*

श्री शिवसुब्रमाणियन रमण, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./219/2026-27]

टिप्पणी : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 के माध्यम से दिनांक 11 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 16 दिसंबर 2025 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/16/14/06/0009/2018-आरईजी-एग्जिट के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2025 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

NEW DELHI, the 13th July, 2026

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

F. No. PFRDA/16/14/06/0009/2018-REG-EXIT.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) read with clauses (g), (h), and (i) of sub-section (2) thereof, the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2026.
2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015:

   a. In Regulation 4A:

      i. Existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1).

ii. After sub-regulation (1) of regulation 4A, following shall be inserted:

"(2) For any specific purpose scheme to be provided by the Pension Fund, it may engage any other entity capable of performing such functions to operationalize such scheme, in accordance with the guidelines issued by the Authority. However, the Pension Fund shall be responsible to the subscriber, who has availed any service under such scheme and be liable for any act of omission or commission of any entity engaged by it, as specified above.

(3) Such other entity shall have the technological capacity to integrate with Pension Fund or any other intermediary, registered with the Authority, including the Central Recordkeeping Agency, for the purpose of collection of information or facilitation of payment of benefits or any other services, to or on behalf of the subscriber.

(4) The Pension Fund and the entity engaged by it for the purpose of provision of services envisaged under this provision shall be supervised under the guidelines and instructions issued by the Authority besides compliance with all other laws as are applicable."

Shri SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./219/2026-27]

Note: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8; and were last amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2025 published in the Gazette of India on 16th December 2025 vide notification No. PFRDA/16/14/06/0009/2018-REG-EXIT.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.20 15:35:30 +05'30'